# प्रथम सूचना रिपोर्ट

**(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)**

1. जिला : भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम थाना : सी.पी.एस. भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष 2023 प्र.इ.रि.सं. .....233/23..... दिनांक ....27/8/2023.....

2. (i) अधिनियम – धारा – 7, 7ए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी. भा.द.स.
   (ii) अधिनियम – भा.द.सं. –
   (iii) अधिनियम – धारायें –
   (iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें –

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....536..... समय .....4:50 P.M.
   (ब) अपराध के घटने का दिन व समयः शुक्रवार दिनांक 26–8–23 समयः 11.35 ए.एम.
   (स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक : 25–8–2023

4. सूचना की किस्म : लिखित/मौखिक : लिखित

5. घटना स्थल :
   (अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी : उत्तर पश्चिम दिशा में करीब 9 किमी.
   (ब) पता : पारसमणी कॉलोनी श्री भरत साहु का निर्माणाधीन मकान भीलवाड़ा।
   .....–..... बीट संख्या .....–.....जरायमदेही सं.....
   (स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .....–..... जिला .....–.....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :
   (अ) नाम : – श्री राकेश साहु
   (ब) पिता का नाम : – श्री रामबक्ष साहु
   (स) जन्म तिथि/वर्ष : – 25 वर्ष
   (द) राष्ट्रीयता : – भारतीय
   (य) पासपोर्ट संख्या .....–..... जारी होने की तिथि .....–.....
   जारी होने की जगह .....–.....
   (र) व्यवसाय : – प्रोपट्री व्यापार
   (ल) पता : – निवासी सांगानेर कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय के सामने मकान नम्बर 887 भीलवाड़ा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री दुर्गेश भट्ट, उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नम्बर 15 कांवाखेड़ा शास्त्रीनगर भीलवाड़ा, हाल उपभोक्ता सेवा अधिकारी सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा।
   2. श्री अब्दुल मजीद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल वहिद अंसारी जाति मुसलमान उम्र 27 वर्ष निवासी गुलअली नगरी गली नम्बर 6 भीलवाड़ा पूर्व कार्मिक सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा।

8. शिकायत/सूचना देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण : कोई विलम्ब नहीं

9. चुराई हुई/संलप्ति सम्पत्ति का विवरण(अगर आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)

| क्र.सं. | सम्पत्ति का प्रकार | अनुमानित मूल्य | वस्तुस्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | भारतीय चलन मुद्रा | 2000 रूपये | आरोपी श्री अब्दुल मजीद अंसारी द्वारा परिवादी से ग्रहण की गई रिश्वत राशि 2000 रूपये बरामद की गई। |

10. चुराई हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य : –
11. मर्ग सूचना/अप्राकृतिक मृत्यु केस नंबर यदि कोई हो तो : –
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु (मजमून) (यदि आवश्यक हो तो अलग पृष्ठ नत्थी करे):

सेवामें,

श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा (प्रथम)

विषय : रिश्वत राशी लेते हुए रंगे हाथों पकड़वाने बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषय में नीवेदन है की मैं प्रार्थी राकेश साहु पुत्र श्री रामबक्ष साहु जाती तेली उम्र 25 वर्ष निवासी सांगानेर कोलोनी सरकारी स्कुल के सामने भीलवाड़ा का रहने वाला हु। मेरे भाई भरतकुमार द्वारा एक आवासीय मकान संख्या 47 ग्राम पांसल में खरीद किया हुआ है। जीस पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है। इस भूखंड में विधुत कनेक्शन के लिए मेरे भाई भरत के नाम से फाईल तैयार कर मेरे द्वारा दिनांक 21/08/23 को AEN कार्यालय AVVNL भीलवाडा सीटी के अन्दर स्थीत Secure के कार्यालय में जमा करवाई। इसके बाद अब्दुल नाम का कार्मीक दिनांक 22/8/23 को मेरे भाई के प्लोट पर आया तथा मकान के बाहर मीटर लगाने वाले स्थान पर प्लास्टर करने के पश्चात मीटर लगाने के लिए बोल तथा दिनांक 24/08/23 को अब्दुल कार्मीक पुनः मकान पर आया तथा मुझे कहा कि आप को जल्दी मीटर लगवाना है तो आप मुझे 3000 रूपये खर्चे पानी के लगेंगे इसके बाद हि आपका मीटर लगाउंगा। अब्दुल नामक कार्मीक के मोबाईल नम्बर 9413718254 है। जीस पर भी मेरी कार्य के संम्बन्ध में बात हुई है। मे मेरे जाईज कार्य की ऐवज में अब्दुल को किसी भी प्रकार कि रिश्वत राशी नही देना चाहता हु बलकी ऐसे भ्रष्ट कार्मीक को रिश्वत राशी लेते हुए रंगे हाथो पकडवाना चाहता हु। अब्दुल मेरे से 3000 रूपये रिश्वत राशी लिए बगेर मेरे भाई के मकान पर मोका रिपोर्ट तेयार नही करेगा। रिपोर्ट करता हु कानुनी कार्वाई करे।

प्रार्थी
सही/-
(राकेश साहु पुत्र श्री रामबक्ष साहु जाती तेली उम्र 25 वर्ष निवासी
सांगानेर कोलोनी सरकारी स्कुल के सामने भीलवाड़ा
मो: 9588251576 )

1. श्री कमलेश जैन-सही/-
2. श्री किशोर इसरानी-सही/-

कार्यवाही पुलिस भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा-प्रथम

दिनांक 25-08-23 समय 11.30 ए.एम.

इस समय परिवादी श्री राकेश साहु पुत्र श्री रामबक्ष साहु जाति तेली उम्र 25 वर्ष निवासी सांगानेर कॉलोनी प्राथमिक विद्यालय के सामने मकान नम्बर 887 भीलवाड़ा ने उपस्थित कार्यालय होकर एक हस्तलिखित प्रार्थना पत्र मुझ पुलिस उप अधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत किया जिस पर परिवादी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा-प्रथम से जरिये दूरभाष वार्ता कर अवगत करवाया गया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक को अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये। प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में दरियाफ्त की तो बताया कि मैं प्रार्थी राकेश साहु पुत्र श्री रामबक्ष साहु जाती तेली उम्र 25 वर्ष निवासी भीलवाड़ा का रहने वाला हु। मैं पैशे से प्रोपर्टी व्यावसाय का धंधा करता हूँ तथा मेरा भाई भरतकुमार भी मेरे साथ ही प्रोपट्री व्यावसाय का धंधा करता है। मेरा भाई श्री भरतकुमार ने एक आवासीय भूखण्ड संख्या 47 कुल क्षैत्रफल 181.55 वर्गगज ग्राम पांसल तहसील भीलवाड़ा में श्री अनुप तोषनीवाल से जरिये विक्रय पंजीयन दिनांक 11.05.2023 को खरीद किया था। मेरे भाई के उक्त आवासीय भूखण्ड पर अभी निर्माण कार्य चल रहा है तथा मेरे भाई ने मुझे विद्युत कनेक्शन करवाने के सम्बन्ध में पत्रावली तैयार कर कनेक्शन करवाने की कहने पर मेरे द्वारा विद्युत कनेक्शन की पत्रावली के कागजात तैयार करवाकर मेरे भाई के

हस्ताक्षर करवाने के बाद कार्यालय सहायक अभियन्ता अ.वि.वि.नि.लि. सिटी कार्यालय भीलवाड़ा में स्थित सिक्योर कार्यालय में दिनांक 21.08.2023 को जमा करवाई गई थीं। उक्त कार्यालय में कार्मिकों द्वारा मुझे मेरे फाईल जमा कराने की मुझे कोई रिसिप्ट नहीं दी तथा पत्रावली ऐसे ही अपने पास रख लीं। इसके बाद दिनांक 22.08.2023 को सिक्योर कार्यालय से अब्दुल नामक कार्मिक मेरे भाई के निर्माणाधीन भूखण्ड पर आया उस समय मैं भूखण्ड पर ही मौजुद था। उस समय अब्दुल ने मुझे कहा कि मीटर लगाने वाले स्थान पर सीमेन्ट का प्लास्तर कर दो उसके बाद ही मीटर लगेगा। दिनांक 24.08.2023 को अब्दुल नामक कार्मिक पुनः मकान पर आया तथा मुझे कहा कि आपको जल्दी मीटर लगवाना है तो मुझे तीन हजार रूपये खर्चे पानी के देने पड़ेंगे। इसके बाद ही आपके मीटर लगाउंगा। मैं ऐसे भ्रष्ट कार्मिक को तीन हजार रूपये की रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ बल्कि ऐसे भ्रष्ट कार्मिक को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी अब्दुल नामक कार्मिक से किसी प्रकार की रंजिश नहीं है और न ही कोई लेन–देन बकाया है। अब्दुल मेरे से तीन हजार रूपये रिश्वत राशि लिये बगैर मेरे भाई के मकान की मौका रिपोर्ट तैयार नहीं करेगा। अब्दुल द्वारा मकान की मौका रिपोर्ट तैयार करने के पश्चात् ही डिमाण्ड नोटिस जारी होगा इसके बाद ही मीटर लगेगा। परिवादी द्वारा दरियाफ्त पर यह भी बताया कि मेरे द्वारा फाईल दिनांक 21.08.2023 को जमा करवाई परन्तु मुझे किसी प्रकार की रसीद नहीं दी तथा आज दिनांक 25.08.2023 को पुनः बिजली विभाग कार्यालय में जाकर फाईल जमा कराने की रसीद चाही तो मुझे कार्यालय कार्मिकों द्वारा मेरी पत्रावली को कम्प्यूटर में चढ़ाकर मुझे रसीद संख्या 001230825106396 दिनांक 25.08.2023 दी है जो मैं पेश कर रहा हूँ इसके अलावा मेरे आधार कार्ड की फोटो प्रति एवं भूखण्ड संख्या 47 के पंजीयन दस्तावेजों की फोटो प्रतियां। उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं दरियाफ्त से मामला रिश्वत राशि मांग का पाया जाता है अतः संदिग्ध अधिकारी से रिश्वत राशि मांग का सत्यापन करवाया जाना आवश्यक है। परिवादी ने बताया कि संदिग्ध अधिकारी आज दिन के दो बजे लगभग मौके पर आयेगा तथा मेरे से रिश्वत राशि लेन–देन के सम्बन्ध में वार्ता करेगा। कार्यालय से डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय खाली मेमोरी कार्ड श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक से मंगवाया जाकर परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश दी गई तथा मांग सत्यापन की कार्यवाही के लिये आवश्यक हिदायत दी गई। उसके पश्चात् समय 12.30 पी.एम. पर कार्यालय में उपस्थित श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक को मन् पुलिस उप अधीक्षक के कार्यालय कक्ष में बुलाया तथा परिवादी श्री राकेश साहु का आपस में परिचय करवाया तथा की जाने वाली कार्यवाही के सम्बन्ध में अवगत करवाया जाकर परिवादी के साथ जाकर परिवादी एवं संदिग्ध अधिकारी/कार्मिक से की जाने वाली मांग सत्यापन वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्ड मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड करे एवं संदिग्ध अधिकारी की आम शोहरत के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर की जाने वाली वार्ता को देखने व सुनने के प्रयास करने के निर्देश दिये गये। समय 12.50 पी.एम. पर परिवादी श्री राकेश साहु व श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक को वास्ते रिश्वत राशि मांग सत्यापन कार्यवाही के मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित आवश्यक हिदायत देकर परिवादी की मोटरसाईकिल से रवाना किया गया। समय 03.50 पी.एम. पर श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक व परिवादी श्री राकेश साहु कार्यालय हाजा पर उपस्थित होकर ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड सहित मन् पुलिस उप अधीक्षक को प्रस्तुत किया तथा बताया कि मैं तथा परिवादी कार्यालय से रवाना होकर परिवादी के भाई के निर्माणाधीन मकान जो कि सो फीट रोड़ के पास के पास पारसमणी ग्रीन कॉलोनी भीलवाड़ा पहुँचे तथा वहां जाकर कुछ समय पश्चात् संदिग्ध अधिकारी की लोकेशन की जानकारी के लिये परिवादी के मोबाईल नम्बर 9588251576 से संदिग्ध अब्दुल के मोबाईल नम्बर 9413718254 पर समय करीब 02.15 पी.एम. कॉल किया तो संदिग्ध अधिकारी ने बताया कि मैं आधे घंटे में आ रहा हूँ। उक्त बातचीत को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया एवं मौके पर ही मुकीम रहे। समय करीबन 3.25 पी.एम. पर परिवादी ने बताया कि एक व्यक्ति जो मोटरसाईकिल लेकर आता दिखाई दिया उसकी ओर परिवादी ने ईशारा कर बताया यही श्री अब्दुल है जिस पर मैंने परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर परिवादी के पहने हुए शर्ट की उपर की जेब में रखवाया तथा मैं उक्त निर्माणाधीन मकान के छत पर जाकर परिवादी व संदिग्ध अधिकारी के मध्य होने वाली बातचीत को देखा। कुछ समय पश्चात् संदिग्ध अधिकारी मोटरसाईकिल लेकर चला गया तथा परिवादी मेरे पास आया और उसने डिजिटल टेप रिकॉर्डर

चालु हालात में मुझे दिया जिसको मैंने अपने पास लेकर बन्द किया। परिवादी ने बताया कि मेरी व अब्दुल की रिश्वत राशि लेन-देन के सम्बन्ध में वार्ता हो गई जो आपके डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। उपस्थित परिवादी से पुछा तो परिवादी ने बताया कि मेरी और अब्दुल की मेरे भाई के विद्युत कनेक्शन का मीटर लगवाने के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तैयार करने की बातचीत की तो उसने मेरे से तीन हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की जिस पर मेरे निवेदन करने पर दो हजार रूपये रिश्वत राशि लेने पर सहमत हुआ तथा रिश्वत राशि आज ही अभी अपने परिचित वसीम अकरम नाम के व्यक्ति के फोन-पे पर भेजने या मुझे 5.00 बजे तक देने के कहा। तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर सुना गया तो परिवादी द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई तथा परिवादी के भाई निर्माणाधीन मकान पर विद्युत मीटर लगाने के लिये मौका रिपोर्ट जल्दी तैयार करने की एवज में दो हजार रूपये रिश्वत राशि मांग सत्यापन होना पाया गया। डिजीटल टेप रिकॉर्डर को सुरक्षित रखवाया गया। समय 4.15 पी.एम. अग्रिम ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाहान की तलबी हेतु श्री पवनकुमार कान्सटेबल को कार्यालय पत्रांक 922 दिनांक 25-8-2023 देकर नगर विकास न्यास भीलवाड़ा के लिए मुनासिब हिदायत देकर रवाना किया गया। उसके बाद परिवादी श्री राकेश साहु ने बताया संदिग्ध अब्दुल के मोबाईल नम्बर से मेरे मोबाईल पर कॉल आ रहा है। इस पर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालु कर पुनः परिवादी के मोबाईल नम्बर 9588251576 से संदिग्ध अब्दुल के मोबाईल नम्बर 9413718254 पर समय करीब 04.45 पी.एम. कॉल लगाया परिवादी व संदिग्ध अब्दुल के मध्य हुई वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। उक्त बातचीत अनुसार संदिग्ध अब्दुल द्वारा रिश्वत राशि लेकर जल्दी आने व परिवादी के भाई के भाई का फोटो लेकर आने की कहा जिस पर परिवादी ने अन्य कार्य में व्यस्त होने से दिनांक 26.08.2023 को प्रातः रिश्वत राशि लेकर आने हेतु कहा गया। समय 5.20 पी.एम. पर श्री पवनकुमार कान्सटेबल नम्बर 417 मय नगर विकास न्यास भीलवाड़ा कार्यालय पत्रांक 859-61 दिनांक 25.08.2023 लेकर मय गवाहान श्री कमलेश जैन पुत्र नवीनकुमार जैन निवासी मकान नम्बर 17 ए स्वीट होम कॉलोनी बालिता रोड़ कोटा हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाड़ा व श्री किशोर इसरानी पुत्र श्री अर्जुन दास इसरानी निवासी मकान नम्बर 18/70 चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर हाल कनिष्ठ अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाड़ा उपस्थित आये। मन् पुलिस उप अधीक्षक ने दोनो गवाहान को स्वयं का परिचय देकर उनका परिचय पुछा तथा ब्यूरो द्वारा की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतन्त्र गवाह रहने की सहमति चाही गई तो अपनी सहमति दी। तत्पश्चात् कार्यालय में उपस्थित परिवादी श्री राकेश साहु का दोनों गवाहान का आपस में परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढ़कर सुनाया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मुख्य-मुख्य अंश दोनों गवाहान को सुनाये गये जिनके द्वारा भी मांग सत्यापन होने की ताईद की गई। समय 5.40 पी.एम. पर परिवादी श्री राकेश साहु ने बताया कि मेरे निर्माणाधीन मकान पर कार्य होने तथा घर पर भी आवश्यक कार्य होने से जाना आवश्यक है। चूंकि परिवादी श्री राकेश साहु व संदिग्ध अधिकारी के मध्य रिश्वत राशि लेन-देन दिनांक 26.08.2023 को तय हुआ है। अतः परिवादी श्री राकेश साहु को रिश्वत में दी जाने वाली राशि दो हजार रूपये की व्यवस्था करने के निर्देश दिये तथा परिवादी व दोनो स्वतन्त्र गवाह को भी दिनांक 26.08.2023 को प्रातः 8.00 ए.एम. पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित होने व ट्रेप कार्यवाही की गोपनीयता बरतने की हिदायत देकर रूखसत किया गया तथा कार्यालय में उपस्थित स्टाफ के सदस्यों को प्रातः 7.30 ए.एम. पर कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिये गये। हालात से श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक साहब को निवेदन किया गया। दिनांक 26-08-23 को समय 8.30 ए.एम. पर परिवादी श्री राकेश साहु कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री राकेश साहु ने मन् पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि श्री अब्दुल को रिश्वत के रूप में दी जाने वाली राशि दो हजार रूपये की व्यवस्था कर लाया हूँ। समय 9.00 ए.एम. पर पाबन्द शुदा गवाह श्री कमलेश जैन कनिष्ठ अभियन्ता व श्री किशोर इसरानी कनिष्ठ अभियन्ता नगर विकास न्यास भीलवाड़ा उपस्थित आये तत्पश्चात् परिवादी श्री राकेश साहु व उपस्थित दोनो स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी श्री राकेश साहु एवं संदिग्ध अधिकारी श्री अब्दुल के मध्य मोबाईल पर एवं रूबरू हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को कार्यालय के लेपटॉप से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ताओं को बारी-बारी से चलाकर सुना गया तथा रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ताओं की उपरोक्त गवाहान

के समक्ष फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री पवनकुमार कान्सटेबल नम्बर 417 से तैयार करवाई गई तथा फर्द पर गवाहान, परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवनकुमार कान्सटेबल नम्बर 417 से कनेक्ट करा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की हैस वेल्यू निकलवाई जाकर उसकी प्रिन्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रिकॉर्ड शुदा मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव जिसमें से एक पेनड्राईव 8 जी.बी. सेनडिस्क का आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु तैयार कर पृथक-पृथक उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव आई.ओ. के लिये तैयार करवाया जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाया गया। रिकॉर्ड वार्ताओं का मूल मेमोरी कार्ड को सेनडिस्क कम्पनी 16 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क-A सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु सिलचिट शुदा पेनड्राईव को मार्क-B अंकित किया गया तथा आरोपी हेतु सिलचिट शुदा पेनड्राईव को मार्क-C अंकित किया गया। फर्द ट्रान्सस्क्रिप्ट मांग सत्यापन वार्ता एवं सिल्ड आर्टीकल्स मार्क A, B, C पर नमूना ब्रास सील अंकित की गई। समय 10.30 ए.एम. पर मन पुलिस उप अधीक्षक के द्वारा आरोपी श्री अब्दुल को दी जाने वाली रिश्वत राशि परिवादी श्री राकेश साहु से मांगने पर उसने अपने पास से 500-500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 2000 रूपये भारतीय चलन मुद्रा के प्रस्तुत किए। कार्यालय से फिनोल्फ्थलीन पाउडर की शीशी मंगवाई जाकर उपरोक्त समस्त नोटों के दोनों ओर फिनोफ्थलीन पाउडर श्री श्रवणकुमार हैड कानि. से लगवाया जाकर नोटों को परिवादी के पहने हुए पेन्ट की सामने की बांयी जेब में रखवाये जाकर परिवादी तथा स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष फिनोल्फ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कर एवं उसके मनतव्य से अवगत कराया गया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व सुपुर्दगी डिजिटल टेप रिकॉर्डर अलग से मुर्तिब करा सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 10.50 ए.एम. पर मन् पुलिस उप अधीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री कमलेश जैन, श्री किशोर इसरानी, श्री राजेश आचार्य उप निरीक्षक, श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री पवनकुमार कान्सटेबल नम्बर 417, श्री गजेन्द्रसिंह कानि. मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, इत्यादि सहित सरकारी वाहन टवेरा से एवं परिवादी श्री राकेश साहु के साथ उसकी निजी मोटरसाईकिल से श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक को परिवादी के निर्माणाधीन मकान भीलवाड़ा के लिये रवाना कर उसके पिछे-पिछे रवाना हुए। समय 11.15 ए.एम. पर रवाना शुदा पारसमणी कॉलोनी भीलवाड़ा के पास पहुँचे तथा परिवादी को डिजिटल टेप रिकॉर्डर चालु व बन्द करने की समझाईश देकर परिवादी के निर्माणाधीन मकान के पास मुकीम किया गया तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनों स्वतन्त्र गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्य आप-पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुए मुकीम रहे। समय 11.35 ए.एम. पर परिवादी श्री राकेश साहु के निर्माणाधीन मकान के बाहर एक मोटरसाईकिल लेकर एक व्यक्ति आया तथा उसके पास मोटरसाईकिल खड़ी कर परिवादी श्री राकेश साहु से बातचीत करने लगा इसी दरम्यान् परिवादी ने अपनी जैब से रूपये निकालकर उक्त पास खड़े व्यक्ति को दिये जिसने अपने हाथों से लेकर अपनी जैब में रखने के पश्चात् परिवादी श्री राकेश साहु ने अपने सिर पर हाथ फैरकर निर्धारित ईशारा किया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक मय स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्य परिवादी के पास पहुँचे और परिवादी ने डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर सुपुर्द किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा तत्पश्चात् परिवादी ने उक्त पास खड़े हुए व्यक्ति की ओर ईशारा कर बताया कि यही श्री अब्दुल है जिसने अभी-अभी मेरे भाई श्री भरत साहु के निर्माणाधीन मकान पर विद्युत कनेक्शन का मीटर लगाने के लिये मौका रिपोर्ट जल्दी तैयार करने की एवज में दो हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर अपने पहनी हुई पेन्ट की बायीं जैब में रख लिये है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा उक्त व्यक्ति को आने के मनतव्य से अवगत कराते हुए स्वयं एवं हमराह टीम व स्वतन्त्र गवाहान का परिचय देते हुए उससे उसका परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री अब्दुल मजीद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल वाहिद अंसारी जाति मुसलमान उम्र 27 वर्ष निवासी गुलअली नगरी गली नम्बर 6 भीलवाड़ा का होना बताया जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री राकेश साहु से उसके भाई श्री भरत साहु के निर्माणाधीन मकान पर विद्युत कनेक्शन का मीटर लगाने के लिये मौका रिपोर्ट जल्दी तैयार करने की एवज में दो हजार रूपये रिश्वत राशि लेकर अपने पहनी हुई पेन्ट की बायीं जैब में

रखने के बारे में श्री अब्दुल को पुछा इस पर आरोपी श्री अब्दुल ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा कि गलती हो गई है माफ कर दो आईन्दा ऐसी गलती नही करूंगा, मैंने पैसे लिये है जो मैं इसको अभी वापस कर देता हूँ तथा कहा कि मैंने श्री राकेश साहु से जो पैसे लिये है जो मेरी पेन्ट की बायी जैब में पड़े है तथा कहा कि साहब मैं ए.वि.वि.एन.एल. भीलवाड़ा के अधिनस्थ सिक्योर मीटर सर्विसेज प्राईवेट लिमि. कम्पनी भीलवाड़ा में पहले मीटर रीडर के पद पर कार्य करता था लेकिन पिछले छः सात माह से मैंने सिक्योर कम्पनी से काम छोड़ दिया है। इस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा श्री अब्दुल मजीद से पुछा कि आपने सिक्योर कम्पनी से काम छोड़ दिया है तो अब आप श्री भरत साहु के विद्युत मीटर लगाने के लिये मौका रिपोर्ट कैसे कर रहे हो तो श्री अब्दुल ने बताया कि मुझे तो श्री अभिषेक जी उपभोक्ता सेवा अधिकारी जो कि सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा में कार्यरत है उन्होने मुझे भेजा है तथा फाईल उन्ही के पास है तत्पश्चात् मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा मौके पर ही सरकारी वाहन से ट्रेप बॉक्स एवं दो प्लास्टिक की पारदर्शी गिलास निकालकर बगल के रहवासी मकान से एक जग में साफ पानी मंगवाया गया तथा उक्त गिलासों में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अब्दुल मजीद के दाहिने हाथ की अंगुलियो व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क आर.एच.-1 व आर. एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री अब्दुल मजीद के बाये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी झांईदार हुआ। जिसे कांच दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क एल.एच.-1 व एल.एच.-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी दरम्यान् आरोपी श्री अब्दुल मजीद ने बताया कि साहब मैंने श्री राकेश साहु से उसके भाई श्री भरत साहु के मीटर कनेक्शन की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु जो रिश्वत राशि दो हजार रूपये लिये है वह मेरे स्वयं के लिये नही लिये है बल्कि श्री अभिषेक जी उपभोक्ता सेवा अधिकारी के कहे अनुसार ही लिये है तथा इन दो हजार रूपये में से कुछ खर्चे पानी के रूप में कुछ राशि मुझे श्री अभिषेक जी देंगे तथा आप कहो तो मैं इसके सम्बन्ध में श्री अभिषेक जी से फोन पर बात भी कर सकता हूँ तथा मैंने व श्री अभिषेक जी द्वारा ही उक्त निर्माणाधीन मकान की मौका रिपोर्ट साथ चलकर तैयार की गई थी। इस पर दोनो स्वतन्त्र गवाह के समक्ष आरोपी श्री अब्दुल मजीद को श्री अभिषेक के मोबाईल पर वार्ता करने हेतु कहा तो श्री अब्दुल मजीद ने अपने मोबाईल नम्बर 9413718254 से श्री अभिषेक के मोबाईल नम्बर 7014685765 पर समय करीब 11.49 ए.एम. पर कॉल किया जाकर वार्ता करवाई गई तो वार्ताअनुसार आरोपी श्री अब्दुल को मौके पर श्री अभिषेक कार्मिक सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा द्वारा भिजवाया जाना पाया गया तथा श्री अब्दुल द्वारा ग्रहण की गई दो हजार रूपये की रिश्वत राशि में श्री अभिषेक का हिस्सा होना पाया गया। मौके पर अत्यधिक भीड़ होने एवं आम रास्ता होने से कार्य में व्यवधान उत्पन्न होने की आंशका होने के कारण अग्रिम कार्यवाही हेतु मन् पुलिस उप अधीक्षक मय जब्ता व दोनो स्वतन्त्र गवाहान मय ट्रेप बॉक्स व आर्टीकल्स सहित सरकारी वाहन मय आरोपी श्री अब्दुल मजीद अंसारी व परिवादी श्री राकेश साहु को साथ लेकर एवं आरोपी श्री अब्दुल मजीद अंसारी की मोटरसाईकिल श्री दलपतसिंह कनिष्ठ सहायक के साथ लेकर सिक्योर ऑफिस पांसल चौराहा के पास रिको एरिया भीलवाड़ा के लिये रवाना होकर समय 12.30 पी.एम. पर सिक्योर कार्यालय भीलवाड़ा पहुँचे तथा मन् पुलिस उप अधीक्षक मय दोनो स्वतन्त्र गवाहान, परिवादी श्री राकेश साहु मय ट्रेप पार्टी के सदस्यों सहित सिक्योर कार्यालय के अन्दर प्रवेश किया तथा श्री अब्दुल मजीद की निशादेही से उक्त कार्यालय में बने एक कक्ष में पहुँचे जहां पर एक व्यक्ति कम्प्यूटर पर कार्य करता हुआ पाया गया जिसकी ओर श्री अब्दुल मजीद ने ईशारा कर बताया कि यही श्री अभिषेक जी है। जिस पर मन् पुलिस उप अधीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना व दोनो गवाहान का परिचय देते हुए आने के मनतव्य से अवगत कराते हुए उससे उसका परिचय पुछा तो श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री दुर्गेश भट्ट उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नम्बर 15 कांवाखेड़ा शास्त्रीनगर भीलवाड़ा हाल उपभोक्ता सेवा अधिकारी सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा होना बताया। उक्त व्यक्ति को मन् पुलिस उप अधीक्षक ने पुछा कि

परिवादी श्री राकेश साहु के भाई श्री भरत साहु के नाम विद्युत कनेक्शन का मीटर लगाने के लिये मौका रिपोर्ट तैयार करने की एवज में रिश्वत राशि दो हजार रूपये लेने हेतु आप द्वारा श्री अब्दुल मजीद अंसारी को भेजने के संबंध में पुछा तो श्री अभिषेक ने बताया कि यह श्री अब्दुल मजीद अंसारी पूर्व में सिक्योर कम्पनी में मीटर रीडिंग का कार्य करता था तथा इसको कम्पनी से निकाल दिया गया है यह अभी कुछ दिनों से ही मेरे पास नये कनेक्शन व नाम परिवर्तन से सम्बन्धित पत्रावलिया लेकर आता है तथा मेरे साथ ही मौका निरीक्षण के लिये दो–तीन बार गया है तथा यह रोजाना मुझे फोन करता कि मुझे भी मौका विजिट के लिये साथ में लेकर चलो इसलिये मैं इसको श्री भरत साहु के निर्माणधीन मकान पर विद्युत कनेक्शन की मौका रिपोर्ट देखने साथ गये थे। साहब गलती हो गई है। मैंने श्री भरत साहु के मौका रिपोर्ट अभी–अभी तैयार कर डिमाण्ड नोटिस निकाल दिया है जो मेरे पास ही फाईल में है। उपस्थित के समक्ष श्री अब्दुल वजीद अंसारी द्वारा परिवादी श्री राकेश साहु से रिश्वत राशि दो हजार रूपये ग्रहण कर अपने पहने हुए पेन्ट की बायीं जैब में रखे थे, इस पर आरोपी की निशानदेही पर ही उसकी पहनी हुई पेंट की बायीं जेब की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री कमलेश जैन से लिवाई गई तो 500–500 रूपये के 4 नोट कुल राशि 2000 रूपये बरामद हुए। उक्त गवाह से ही पूर्व में मूर्तिब की गई फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित नोटो के नम्बरों से मिलान करवाया गया तो मिलान हुबहु हुए। उपरोक्त बरामद रिश्वती राशि पर एक सफेद कागज की चिट लगाकर सिलचिट बंद करा संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर वजह सबूत कब्जे ब्यूरों लिये गये। आरोपी को पहनने हेतु एक पेंट मंगवाई जाकर पहनी हुई पेंट को ससम्मान उतरवाकर मंगवाई गई पेंट को पहनाई जाकर श्री पवनकुमार कानि. नम्बर 417 के दोनो हाथों को साफ पानी व साबुन से धुलवाये जाने के पश्चात उक्त कानि. से ही एक पारदर्शी प्लास्टि के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा, उक्त घोल में आरोपी की उतरवाई गई पेंट की बायीं जेब को उलटवाकर डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हुआ। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित करा चिट व कपडे पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त पेंट की जेब को सुखवाकर एक कागज का चिट पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट की बायीं जेब में रखा जाकर उक्त पेंट जो बरंग नीला है, को एक सफेद कपड़े की थैली में रखवाकर सिलचिट बंद कराया जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर पेंट पेकेट को मार्क–पी अंकित कर वजह सबूत कब्जे ब्यूरो लिया गया। उपस्थित के समक्ष आरोपी श्री अभिषेक शर्मा को परिवादी श्री राकेश साहु के भाई श्री भरत साहु के विद्युत कनेक्शन की पत्रावली के सम्बन्ध में पुछा तो उसने अपनी टेबल पर रखी पत्रावली में से एक पत्रावली निकालकर पेश की गई। कार्यालय में उपस्थित सिक्योर कम्पनी के अन्य कार्मिक को मन् पुलिस उप अधीक्षक द्वारा अपना परिचय पुछा तो उसने अपना नाम श्री निखिल पुरोहित पुत्र श्री विश्वनाथ जी पुरोहित निवासी मकान नम्बर 52 कर्मशील मार्ग आउटसाईड चांदपोल उदयपुर हाल प्रभारी उपभोक्ता सेवा केन्द्र सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा होना बताया। उक्त श्री निखिल पुरोहित ने उक्त पत्रावली के सम्बन्ध में बताया कि श्री भरतकुमार तेली पुत्र श्री रामबक्ष तेली के नाम नये विद्युत कनेक्शन का आवेदन पत्र तथा उसके साथ दस्तावेजों की प्रतियां प्राप्त हुई जिस पर श्री अभिषेक शर्मा द्वारा अपनी रिपोर्ट तैयार कर डिमाण्ड नोटिस कमांक 1002481 दिनांक 26.08.2023 राशि 4150 रूपये की जारी की गई थी जो पत्रावली में है। श्री अभिषेक शर्मा द्वारा उक्त डिमाण्ड नोटिस आज श्री अब्दुल मजीद अंसारी से फोन पर बातचीत होने के बाद ही स्वयं द्वारा जारी करना तथा उस पर मौका रिपोर्ट भी श्री अब्दुल मजिद अंसारी के साथ श्री भरत साहु के निर्माणाधीन मकान पर जाकर तैयार करना बताया है। उक्त पत्रावली की फोटो प्रति करवाई जाकर मूल पत्रावली के अन्तिम पृष्ठ पर परिवादी, दोनो गवाहान, आरोपीगण श्री अब्दुल मजीद अंसारी व श्री अभिषेक शर्मा व सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर पत्रावली पेज संख्या 1 से 32 तक अंकित करवा कब्जे ब्यूरो ली गई तथा उक्त पत्रावली पर अग्रिम कार्यवाही करने के लिये श्री निखिल पुरोहित को पत्रावली की फोटो प्रति सुपुर्द की गई। उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पाया कि परिवादी श्री राकेश साहु के भाई श्री भरत साहु के निर्माणाधीन मकान पर नया विद्युत कनेक्शन के लिये मीटर लगाने की पत्रावली सिक्योर मीटरींग एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमि. भीलवाड़ा के कार्यालय में जमा करवाई गई थी। जिसकी मौका रिपोर्ट जल्दी तैयार कर डिमाण्ड नोटिस जारी कराने की

एवज में श्री अभिषेक शर्मा उपभोक्ता सेवा अधिकारी द्वारा पूर्व कार्मिक (दलाल) श्री अब्दुल मजीद अंसारी मिलीभगत कर एवं आपराधिक षडयन्त्रपूर्वक परिवादी श्री राकेश साहु से तीन हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा मांग सत्यापन वार्ताअनुसार दो हजार रूपये रिश्वत राशि दिनांक 26.08.2023 को लेना तय हुआ। आज दिनांक 26.08.2023 को आरोपी श्री अब्दुल मजिद अंसारी द्वारा परिवादी श्री राकेश साहु से उसके भाई श्री भरत साहु के निर्माणाधीन मकान पारसमणी कॉलोनी भीलवाड़ा पर दो हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा तथा आरोपी के दोनो हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया एवं आरोपी श्री अब्दुल मजीद की पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री अभिषेक शर्मा उपभोक्ता सेवा अधिकारी द्वारा अपने दलाल श्री अब्दुल मजीद अंसारी के मार्फत दो हजार रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करना धारा 7, 7ए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी. भा.द.स. का अपराध कारित करना पाया गया है। आरोपीगणों की फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। रिश्वती राशि के मांग सत्यापन एवं लेनदेन के वक्त परिवादी तथा आरोपीगणों के मध्य जो वार्तालाप रिकॉर्ड की गयी, को उपस्थितिन के समक्ष सुनाई गई तो परिवादी तथा आरोपीगणों ने अपनी-अपनी आवाज होना स्वीकार किया। उपरोक्त कार्यवाही की फर्द हाथ धुलाई एवं बरामदगी रिश्वती राशि अलग से मूर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपीगणों को जरिये फर्द गिरफ्तारी पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया। उसके बाद आरोपी श्री अभिषेक शर्मा व श्री अब्दुल मजीद अंसारी के मोबाईल जरिये फर्द पृथक-पृथक जब्त कर सिलचिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ब्यूरो लिया गया। समय 5.00 पी.एम. मन् पुलिस उप अधीक्षक, मय स्वतन्त्र गवाह श्री कमलेश जैन, श्री किशोर इसरानी, श्री राजेश आचार्य उप निरीक्षक, श्री रामपाल सहायक उप निरीक्षक, श्री पवनकुमार कान्सटेबल नम्बर 417, श्री दलपतसिंह क.स., श्री गजेन्द्रसिंह कानि. व आरोपीगण श्री अभिषेक शर्मा व श्री अब्दुल मजिद अंसारी मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप, प्रिन्टर, जब्त शुदा आर्टीकल्स इत्यादि सहित सरकारी वाहन टवेरा से एवं परिवादी श्री राकेश साहु को उसकी मोटरसाईकिल से सिक्योर कार्यालय भीलवाड़ा से ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा के लिये रवाना होकर समय 5.15 पी.एम. पर रवाना शुदा ब्यूरो कार्यालय भीलवाड़ा-प्रथम पर उपस्थित आये तत्पश्चात् घटनास्थल का नक्शा मौका पृथक से मुर्तिब किया गया। समय 6.50 पी.एम. पर परिवादी श्री राकेश साहु एवं आरोपी श्री अब्दुल मजीद अंसारी के मध्य हुई रिश्वत राशि लेन-देन रूबरू एवं मोबाईल पर हुई वार्ता एवं आरोपी श्री अब्दुल मजीद अंसारी द्वारा परिवादी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात् अपने मोबाईल नम्बर 9413718254 से आरोपी श्री अभिषेक शर्मा के मोबाईल नम्बर 7014685765 पर समय करीब 11.49 ए.एम. पर हुई वार्ता जो कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसस्क्रिप्ट श्री पवनकुमार कान्सटेबल नम्बर 417 से तैयार करवाई गई तथा फर्द पर गवाहान, आरोपीगण व परिवादी के हस्ताक्षर करवाये गये। उपरोक्त रिकॉर्डशुदा वार्ताओं को उक्त डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कार्यालय हाजा के लेपटॉप से श्री पवनकुमार कान्सटेबल नम्बर 417 से कनेक्ट करा रिकॉर्ड शुदा वार्ता की हैस वेल्यू निकलवाई जाकर उसकी प्रिन्ट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर के रिकॉर्ड शुदा मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ताओं के कुल तीन पेनड्राईव जिसमें से एक पेनड्राईव 8 जी.बी. सेनडिस्क का आरोपी हेतु व एक पेनड्राईव माननीय न्यायालय हेतु तैयार कर पृथक-पृथक उसी पेनड्राईव के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर नियमानुसार सिलचिट कर सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा एक पेनड्राईव आई.ओ. के लिये तैयार करवाया जाकर एक कागज के लिफाफे में रखवाया गया। रिकॉर्ड वार्ताओं का मूल मेमोरी कार्ड को सेनडिस्क कम्पनी 16 जी.बी. को उसी मेमोरी कार्ड के कवर में रखकर कपड़े की थेली में रखकर सिलचिट कर मार्क-D सभी सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा न्यायालय हेतु सिलचिट शुदा पेनड्राईव को मार्क-E अंकित किया गया तथा आरोपी हेतु सिलचिट शुदा पेनड्राईव को मार्क-F अंकित किया गया। जब्त शुदा आर्टीकल्स को जमा मालखाना करवाया गया। समय 8.25 पी. एम. पर स्वतन्त्र गवाहान श्री कमलेश जैन व श्री किशोर इसरानी के समक्ष उक्त ट्रेप कार्यवाही के दौरान उपयोग मे ली गई ब्रास सील को बाद सम्पूर्ण कार्यवाही के फारीख हो कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा-प्रथम के बाहर पत्थर से तुड़वाकर नष्ट की गई जिसकी पृथक से फर्द मुर्तिब कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये।

इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर पाया कि परिवादी श्री राकेश साहु के भाई श्री भरत साहु के निर्माणाधीन मकान पर नया विद्युत कनेक्शन के लिये मीटर लगाने की पत्रावली सिक्योर मीटरींग एण्ड सर्विसेज प्राईवेट लिमि. भीलवाड़ा के कार्यालय में जमा करवाई गई थी। जिसकी मौका रिपोर्ट जल्दी तैयार कर डिमाण्ड नोटिस जारी कराने की एवज में श्री अभिषेक शर्मा उपभोक्ता सेवा अधिकारी द्वारा पूर्व कार्मिक (दलाल) श्री अब्दुल मजीद अंसारी मिलीभगत कर एवं आपराधिक षडयन्त्रपूर्वक परिवादी श्री राकेश साहु से तीन हजार रूपये रिश्वत राशि की मांग की गई तथा मांग सत्यापन वार्ताअनुसार दो हजार रूपये रिश्वत राशि दिनांक 26.08.2023 को लेना तय हुआ। आज दिनांक 26.08.2023 को आरोपी श्री अब्दुल मजिद अंसारी द्वारा परिवादी श्री राकेश साहु से उसके भाई श्री भरत साहु के निर्माणाधीन मकान पारसमणी कॉलोनी भीलवाड़ा पर दो हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा तथा आरोपी के दोनो हाथों के धोवन का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया एवं आरोपी श्री अब्दुल मजीद की पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब जहां से रिश्वत राशि बरामद हुई है का रंग हल्का गुलाबी होना पाया गया है। इस प्रकार आरोपी श्री अभिषेक शर्मा उपभोक्ता सेवा अधिकारी द्वारा अपने दलाल श्री अब्दुल मजीद अंसारी के मार्फत दो हजार रूपये की रिश्वत राशि ग्रहण करना धारा 7, 7ए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी. भा.द.स. का अपराध कारित करना पाया गया है।

अतः आरोपी श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री दुर्गेश भट्ट, उम्र 27 वर्ष निवासी मकान नम्बर 15 कांवाखेड़ा शास्त्रीनगर भीलवाड़ा, हाल उपभोक्ता सेवा अधिकारी सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा एवं श्री अब्दुल मजीद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल वाहिद अंसारी जाति मुसलमान उम्र 27 वर्ष निवासी गुलअली नगरी गली नम्बर 6 भीलवाड़ा पूर्व कार्मिक सिक्योर कम्पनी भीलवाड़ा के विरूद्ध बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट जुर्म धारा 7, 7ए. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120 बी. भा.द.स. के अन्तर्गत प्रथम दृष्टया अपराध प्रमाणित पाये जाने पर बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट कता की जाकर वास्ते कमांकन हेतु श्रीमान् महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(पारसमल)
पुलिस उप अधीक्षक,
भ्र. नि. ब्यूरो भीलवाड़ा–प्रथम

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट, श्री पारसमल, उप पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम ने प्रेषित की है। रिपोर्ट के तथ्यों से जुर्म अन्तर्गत 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री अभिषेक भट्ट पुत्र श्री दुर्गेश भट्ट हाल उपभोक्ता सेवा अधिकारी, सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा एवं 2. श्री अब्दुल मजीद अंसारी पुत्र श्री अब्दुल वहिद अंसारी, निवासी गुलअली नगरी गली नम्बर 6 भीलवाड़ा, पूर्व कार्मिक सिक्योर कम्पनी, भीलवाड़ा के विरूद्ध घटित होना पाया गया है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 233/2023 उपरोक्त धाराओं में पंजीबद्ध कर प्रतियाँ नियमानुसार जारी की गई। अनुसंधान जारी है।

27.8.23
(योगेश दाधीच)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

कमांकः- 2673-76 दिनांक 27.8.2023

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम भीलवाड़ा।
2. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर।
3. Client Support Executive, Innov Source Services Pvt. Ltd. Bhilwara, Raj.
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-प्रथम।

27.8.23
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।